प्रेस विज्ञप्ति

तारीख़: 19 नवंबर 2025
संपर्क: chakradhar@libtech.in | +91 9246522344 एवं rahul@libtech.in | +91 9346251593
संगठन: लिबटेक इंडिया — www.libtech.in

भारत में मनरेगा रोज़गार; अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान अंतर्दृष्टि और रुझान:

लिबटेक इंडिया के छमाही मनरेगा ट्रैकर से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-सितंबर 2025) के दौरान भारत में रोज़गार सृजन में वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में यह कमी और भी गंभीर है।

प्रमुख निष्कर्ष

1. रोज़गार में उल्लेखनीय कमी

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मनरेगा के तहत सृजित व्यक्ति-दिवसों में वित्त वर्ष 2024-25 और 2023-24 की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 11.7% और 25.6% की गिरावट दर्ज की गई। केवल आठ राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई और शेष 11 राज्यों में वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में सृजित व्यक्ति-दिवसों में गिरावट देखी गई। पश्चिम बंगाल में दोनों वर्षों में कोई व्यक्ति-दिवस दर्ज नहीं किया गया।

राज्य स्तर पर:

उत्तराखंड (54.3%) और तेलंगाना (47.6%) में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, वहीं झारखंड (56.4%) और मध्य प्रदेश (30.5%) में वित्त वर्ष 2025-26 में उत्पन्न व्यक्ति-दिवसों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।

2. आधार-आधारित ईकेवाईसी - चुनौतियाँ

राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS) में चेहरे के सत्यापन के माध्यम से आधार-आधारित ई-केवाईसी को एक नई सुविधा के रूप में जोड़ा गया है। यह ई-केवाईसी नवंबर 2025 से अनिवार्य हो गया है।

12 नवंबर 2025 तक, देश के सभी मनरेगा श्रमिकों और सक्रिय मनरेगा श्रमिकों में से 68.8% (17.9 करोड़ श्रमिक) और 46.9% (5.3 करोड़ श्रमिक) ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है।

राज्य स्तर पर:

ई-केवाईसी लंबित रहने के मामले में 'सभी श्रमिकों' की श्रेणी में मध्य प्रदेश (93.9%), गुजरात (88.8%) और हरियाणा (88.6%) की सबसे अधिक और भारी हिस्सेदारी है, वहीं 'सक्रिय श्रमिकों' की श्रेणी में मध्य प्रदेश (90.5%), बिहार (76.8%) और झारखंड (68%) की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।

क्षेत्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि तकनीकी ख़राबी, कमज़ोर नेटवर्क कनेक्टिविटी और काम की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन के कारण कई श्रमिक ई-केवाईसी पूरा करने में असमर्थ हैं।

3. श्रमिकों की संख्या में 'शुद्ध' वृद्धि

वित्त वर्ष 2025-26 में 11.2 लाख श्रमिकों को हटाया गया, वहीं 90 लाख श्रमिकों को मनरेगा रोल में जोड़ा गया। इस प्रकार, कुल 78.8 लाख श्रमिकों की 'शुद्ध' वृद्धि हुई। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के सकारात्मक परिणामों के बावजूद, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रोज़गार में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

4. पश्चिम बंगाल में मनरेगा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2025 से मनरेगा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। हालाँकि यह एक सकारात्मक क़दम है लेकिन राज्य के श्रमिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बेहद ज़रूरी हैं जिससे वे धीरे-धीरे एबीपीएस, एनएमएमएस और ई-केवाईसी जैसी प्रणालियों के साथ तालमेल बैठा सकें।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय से माँगें

- ग्रामीण विकास मंत्रालय को काम और मज़दूरी पाने के लिए अनिवार्य आधार ई-केवाईसी की आवश्यकता को समाप्त कर देना चाहिए।
- राज्य सरकारों के साथ परामर्श आरंभ करें, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ प्रमुख संकेतकों ने प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की है।
- इसके अलावा, समावेशन को प्राथमिकता देने वाली डिजिटल प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए नागरिक समाज संगठनों के साथ परामर्श शुरू करना चाहिए।

रिपोर्ट के बारे में

लिबटेक इंडिया मनरेगा ट्रैकर का उपयोग पत्रकारों, नागरिक समाज संगठनों और नीति निर्माताओं द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम - मनरेगा - के तहत रोज़गार सृजन और श्रमिकों की वंचित रह जाने संबंधी प्रवृत्तियों और रुझानों की निगरानी के लिए किया जाता है।

पूरी रिपोर्ट यहाँ उपलब्ध है - लिंक